न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0 37/22

तारीख दायरा 28.02.2022

तारीख फैसला 27.09.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजेश कंवर उर्फ राजीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जी नाथ पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी बम्बुलिया रावतान हाल निवास लाडपुरा कोटा
2. प्रभावती उर्फ ललता पुत्री मन्ना नाथ पत्नी धन्नालाल निवासी बम्बूलिया रावतान निवासी हाल जाखडोंद तहसील दीगोद
3. मूली बाई उर्फ भूली, पुत्री मन्नालाल नाथ पत्नी शम्भूदयाल जी निवासी बम्बूलिया रावतान निवासी हाल ग्राम खजूरना तहसील अन्ता जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 145/1.02 है, 235/0.62 है0, 242/0.46 है0, 271/0.64 है0, 278/0.06 है0, 289/0.29 है0, 291/0.03 है0, 362/0.05 है0 कुल किता 8 रकबा 3.17 है0 भूमि स्थित है। यह कि उक्त आराजी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त भूमि में वादी नम्बर 1 का नाम राजीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण नाथ, वादी नम्बर 2 का नाम ललता पुत्री मन्ना व वादी नम्बर 3 का नाम भूली पुत्री मन्ना दर्ज है जो इंतकाल खोलते समय गलत ... गया है। जब कि वादीगण के आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड में क्रमशः वादी नम्बर 1 का नाम राजेश कंवर, वादी नम्बर 2 का नाम प्रभावती व वादी नम्बर 3 का नाम मूलीबाई है तथा ग्राम पंचायत की तस्दीक में भी उक्त नाम दर्ज है। वादीगण का उवतानुसार नाम दुरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि नाम की दुरुस्ती नहीं की गयी तो वादीगण को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। इस कारण रिकॉर्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वादीगण ने निवेदन किया है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 145/1.02 है, 235/0.62 है0, 242/0.46 है0, 271/0.64 है0, 278/0.06 है0, 289/0.29 है0, 291/0.03 है0, 362/0.05 है0 कुल किता 8 रकबा 3.17 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नम्बर 1 का नाम राजीबाई के स्थान पर राजेश कंवर, वादी नम्बर 2 का नाम ललता के स्थान पर प्रभावती तथा वादी नम्बर 3 का नाम भूली के स्थान पर मूली बाई दर्ज किया जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी नम्बर 1 का नाम राजीबाई के स्थान पर राजेश कंवर, वादी नम्बर 2 का नाम ललता के स्थान पर प्रभावती तथा वादी नम्बर 3 का नाम भूली के स्थान पर मूली बाई किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिववक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 145/1.02 है, 235/0.62 है0, 242/0.46 है0, 271/0.64 है0, 278/0.06 है0, 289/0.29 है0, 291/0.03 है0, 362/0.05 है0 कुल किता 8 रकबा 3.17 है0 भूमि में वादी नम्बर 1 का नाम राजीबाई के स्थान पर राजेश कंवर, वादी नम्बर 2 का नाम ललता के स्थान पर प्रभावती तथा वादी नम्बर 3 का नाम भूली के स्थान पर मूली बाई किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:23 IST
Reason: SelfAttested

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. राजेश कंवर उर्फ राजीबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जी नाथ पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी बम्बुलिया रावतान हाल निवास लाडपुरा कोटा
2. प्रभावती उर्फ ललता पुत्री मन्ना नाथ पत्नी धन्नालाल निवासी बम्बूलिया रावतान निवासी हाल जाखडोंद तहसील दीगोद
3. मूली बाई उर्फ भूली, पुत्री मन्नालाल नाथ, पत्नी शम्भूदयाल जी निवासी बम्यूलिया रावतान निवासी हाल ग्राम खजूरना तहसील अन्ता जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब—रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 145／1.02 है, 235／0.62 है0, 242／0.46 है0, 271／0.64 है0, 278／0.06 है0, 289／0.29 है0, 291／0.03 है0, 362／0.05 है0 कुल किता 8 रकबा 3.17 है0 भूमि में वादी नम्बर 1 का नाम राजीबाई के स्थान पर राजेश कंवर, वादी नम्बर 2 का नाम ललता के स्थान पर प्रभावती तथा वादी नम्बर 3 का नाम भूली के स्थान पर मूली बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बवत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना वहन करेंगें।

27.9.22
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
दीगोद
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:23 IST
Reason: SelfAttested